दिनांक 25.07.2023 को जिलाधिकारी महोदया पिथौरागढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक का कार्यवृत्त

1. अ–उपस्थिति– संलग्नक परिशिष्ट
2. ब– स्थान कलेक्ट्रेट, समय 04.00 अपरान्ह

सर्वप्रथम महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदया एवं सदन में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जिसमें बिन्दुवार कार्रवाई निम्न प्रकार से है:–

बिन्दु संख्या 01 : एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथासंशोधित–2020) अन्तर्गत प्राप्त दावों की स्वीकृति पर विचार:– महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त उद्योग मित्र बैठक में इकाइयों के एम0एस0एम0ई0–2015 योजनान्तर्गत 10 प्रतिशत ब्याज उपादान के 17 दावों, 100 प्रतिशत विद्युत उपादान के 02 दावों एवं 40 प्रतिशत राज्य पूंजी उपादान के 01 दावे जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़ में प्रस्तुत किए गए हैं जोकि समिति के विचारार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए गए। समिति द्वारा होटल पुष्पांजलि का ब्याज उपादान दावा बिलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में महाप्रबंधक एवं इकाई को अपना पक्ष रखने हेतु आमंत्रित किया गया। महाप्रबंधक एवं इकाई के प्रोपराइटर द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में उनका दावा दिनांक 07/06/2021 को आयोजित जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में रखा गया था। कैफ में नाम परिवर्तित होने के कारण दावा समिति ने संशोधन के उपरान्त पुनः प्रस्तुत किए जाने के निर्देश तत्समय बैठक में दिए गए। दिनांक 10/02/2023 को आयोजित जिला उद्योग मित्र बैठक में नाम संशोधित किए जाने की संस्तुति की गई जिसके क्रम में उद्योग निदेशालय द्वारा कैफ में संशोधन किया गया। इकाई का दावा पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 में निर्धारित नियमानुसार गुण–दोष एवं विचलन को संज्ञान मे लेते हुए दावा स्वीकृत किया गया है। समिति द्वारा होटल श्रेष्टा एवं होटल मिलम इन के राज्य पूंजी निवेश उपादान की धनराशि वितरित किए जाने के उपरान्त भी मूल धन में कटौती न होने के संबंध में संबंधित बैंक का पक्ष जाना गया जिस संबंध में बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई को प्राप्त सब्सिडी को उनके द्वारा टी0डी0आर0 के रूप में जमा किया गया है तथा उतनी राशि पर ब्याज आगणित नहीं किया गया है समिति द्वारा आगामी दावा प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उक्त राशि को इकाई के सावधि ऋण खाते में समायोजित किए जाने के निर्देश दिए गए तथा प्रस्तुत समस्त दावों को समिति द्वारा संस्तुती प्रदान की गई।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक, जि0उ0के0/शाखा प्रबंधक उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक पिथौरागढ़/मुनस्यारी)

बिन्दु संख्या 02–उत्तराखण्ड प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु नीति–2023 के संबंध में विचार–विमर्श:– राज्यपाल, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:374/सात–03–23/04(01)/एम0एस0एम0ई0/2022, दिनांक 22 फरवरी 2023 द्वारा अधिसूचित ''उत्तराखण्ड प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु नीति–2023'' के क्रियान्वयन हेतु मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया/दिशानिर्देश प्रख्यापित करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके क्रम में जनपद पिथौरागढ़ में उद्यमियों को उक्त नीति–2023 के तहत लाभान्वित करने के लिए विचार–विमार्श हेतु समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया एवं उक्त के संबंध में पूर्व में जनपद में स्थापित सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण करने वाली इकाइयों को उक्त नीति के तहत लाभान्वित किए जाने के निर्देश महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़ को दिए गए।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक, जि0उ0के0)

बिन्दु संख्या 03–मिनी औद्योगिक आस्थान बिण में प्लाट आवंटन आदेश निर्गत किये जाने के संबंध में:– अध्यक्ष महोदया, को अवगत कराया गया कि औद्योगिक आस्थान बिण में प्लाट आवंटन हेतु विभागीय वेबसाइट में आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिसके क्रम में 37 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जिला उद्योग मित्र समिति द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित 25 आवेदकों को दिनांक 12.04.2023 को प्लाट आवंटन की सहमति दी गई। समिति द्वारा उक्त बैठक में निर्णय लिया गया था कि आवंटियों को आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित किए जाएंगे। सुश्री दीपिका

चुफाल मै0 कृषक मैत्री फूड प्रोसेसिंग जाखनी पिथौरागढ़ द्वारा कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उन्हें अपने उद्योग जो कि इनके निवास में है, के संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें औद्योगिक आस्थान में भूखण्ड की अतिशीघ्र अत्यन्त आवश्यकता है। अतः आवंटियों को आदेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में समिति के सम्मुख विचारार्थ उक्त मामले को प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा निर्णय लेते हुए सुश्री दीपिका चौफाल की परेशानी को देखते हुए उनको आवंटन लेटर प्रेषित करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक, जि0उ0के0)

अंत में सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

सदस्य/सचिव
जिला उद्योग मित्र समिति,
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला उद्योग मित्र समिति

कार्यालय महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़।

पत्रांक /उ0मि0बैठक/2023–24 दिनांक /07/2023

प्रतिलिपि– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी महोदया, पिथौरागढ़।
4. समस्त सदस्य, जिला उद्योग मित्र समिति, पिथौरागढ़।
5. शाखा प्रबंधक उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक पिथौरागढ़/मुनस्यारी।

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र,
पिथौरागढ़।